कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांकः– सीएफओ / मेमो / भवन–निरी0 / 2020 दिनांकः जनवरी 16, 2021

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल
प्लाट न0– 91 / 1 राधापुरम कल्यानपुर,
कानपुर नगर।

विषयः– प्लाट न0– 91 / 1 राधापुरम कल्यानपुर, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल भवन में मॉकड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण।

संदर्भः– फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांकः एफएस–1710–2019 दिनांक 13.01.2020 ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांकः–09.01.2021 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्लाट न0–91 / 1 राधापुरम कल्यानपुर, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल भवन में मॉक ड्रिल कराकर भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी आख्या के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें कार्यशील दशा में पायी गयीः–

1. उक्त स्कूल भवन पर्याप्त चौडे मार्ग पर स्थित है, जहॉ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2. स्कूल भवन भूतल+तृतीय तल निर्मित है।
3. स्कूल भवन में होजरील प्रणाली का प्राविधान किया गया है।
4. स्कूल भवन के टैरेस पर 10000 ली0 टैरेस टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. उक्त स्कूल भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) कार्यशील दशा में पाये गये। आवेदक द्वारा ट्रेजरी चालान संख्याः–एडी 00235 दिनांकः–13.01.2021 के द्वारा राजकीय कोष मे रू 100 / – जमा करा दिया गया है।
6. भवन में वैकल्पिक बिधुत स्रोत के अन्तर्गत जनरेटर का प्राविधान किया गया है।
7. स्कूल भवन में बिधुत अधिभार के अनुसार एम0सी0बी / ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया गया है।
8. स्कूल भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
9. भवन में ढॉचागत एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा ऑन लाइन एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.02.2018 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऑन लाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षणोपरान्त उनकी कार्यशीलता का सत्यापन किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर उक्त भवन में मॉक ड्रिल कराते हुए स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

16/1/21

(एम0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कोषागार प्रपत्र – 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2

प्रपत्र संख्या – 8 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... SBI सिविल लाइन्स कानपुर नगर

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक) हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... मैसर्स गाडेनिया पब्लिक स्कूल
2. पता .... 9A/1 राधापुरम कल्याणपुर कानपुर नगर
3. पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .... उ0 प्र0 फायर सर्विस
4. जमा की जा रही धनराशि का विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... फायर उपकरण परीक्षण शुल्क
5. चालान की सकल राशि .... सकल राशि 100/-
6. चालान की निबल राशि ....
7. लेखाशीर्षक का पूरा विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर ....
8. लेखा – शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीषक	उपमुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0070	60	109	01	--	100/-

भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर मुख्य शाखा 13 JAN 2021

धनराशि (शब्दों में) .... एक सौ रुपये मात्र

योग 100/-

चालान में लेख शीर्षक का पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

अग्निशमन अधिकारी
फजलगंज, कानपुर नगर।

केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... AD 00238

दिनांक ....

अंको में रू. 100/-

शब्दों में रू.

प्राप्त किया हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक की मुहर सहित